

पत्रावली वादी वकील को आगामी लखीम पेशी  
 आक्षेपवादी कराने हेतु आदेश अक्सर दिया  
 जाता है। अथवा आक्षेपवादी बंद कर दी जाती  
 पत्रावली वादी आक्षेपवादी अंतिम अक्सर दिया जाता  
 पत्रावली दि० 14-9-2021 को पेश की।

14/9/21 वरुणा उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकुमार सेवक  
 पत्रावली दि० 14-9-2021 को पेश की।

20/9/2021 पत्रावली पेश हुई। बहुलायुक्त  
 प्रकरण में वादी वकील को आक्षेपवादी  
 कराने के लिये अक्सर देन के कारण  
 आक्षेपवादी नहीं कराये। अतः प्रकरण  
 में आक्षेपवादी बंद की जाती है। पत्रावली  
 वादी बंद दि० 1-10-2021 को पेश की।

1/10/2021 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील  
 उपस्थित। प्रकरण वादी व वादी वकील  
 को बार-बार आवाज दिलवायी गयी।  
 आवाज बिलवाने के कारण प्रकरण  
 वादी वकील उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण  
 बंद है कि वादी व वादी वकील प्रकरण  
 आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।  
 अतः मुद्दा नं० 68/19 को आगामी  
 वकालत राज ठकी वरिष्ठ अदालत हाजरी  
 अदालत में रखा गया किया जाता है।  
 पत्रावली पेश सुमार ही कर नभवर की  
 कम है।

